समाहरणालय, सहरसा

(जिला भू–अर्जन कार्यालय)

–:: अधिसूचना ::–

परियोजना कोशी नदी पर बलुआहा घाट से गंडौल के बीच कोशी नदी पर निर्मित उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच पथ निर्माण हेतु मौजा–नगरा/102 एवं खिरहो/103 में रकवा–2.85 एकड़ भूमि के स्थायी भू–अर्जन हेतु RFCTLARR Act-2013 की धारा–07(1), (2) एवं (3) के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक–512–2/भू–अर्ज०, दिनांक–08.09.2018 द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा, पथ निर्माण के लोक प्रयोजन हेतु भू–अर्जन करने के प्रस्ताव पर आद्री द्वारा समर्पित सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन का मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया है।

सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन प्रतिवेदन पर विशेषज्ञ समूह द्वारा पत्रांक–1645/अनु०/प०नि०वि०, दिनांक–04.10.2018 द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदन अपने मन्यव्य के साथ समर्पित किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1. यह परियोजना लोक प्रयोजन के दृष्टिकोण से उचित एवं उपयोगी है।
2. अधियाची विभाग द्वारा यह प्रयास किया गया है कि कम से कम भूमि का अर्जन किया जाय।
3. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित 2.85 एकड़ जमीन का 2050 मीटर लम्बे उच्चस्तरीय कोशी पुल सहित 9.65 कि०मी० लम्बी मुख्य उच्चस्तरीय सड़क के 440 मिटर लम्बे हिस्से के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है।
4. इस परियोजना में आबादी के विस्थापित होने की संभावना काफी कम है।
5. यह परियोजना क्षेत्र विकास के लिए रोजगार बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सरोकार इत्यादि हेतु मार्ग प्रशस्त करेगा।
6. इस परियोजना के तहत भू–अर्जन करने का नाकारात्मक पहलू निम्न प्रकार है।

(क) सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को अपने भूमि का प्रतिकर (मुआवजा) प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।

(ख) कुछ परिवार का घर/दुकान आदि विस्थापित होगा, जिसके लिए उन्हें उचित मुआवजा का भुगतान करने की आवश्यकता है।

पथ निर्माण के लोक प्रयोजन हेतु भू–अर्जन करने के प्रस्ताव पर किये गये सामाजिक प्रभाव का आकलन प्रतिवेदन का मूल्यांकन करने के पश्चात विशेषज्ञ समूह की राय है कि इस अर्जन का सामाजिक मूल्य (Social cast) कम है तथा सामाजिक लाभ (Social Benifits) ज्यादा है।

अतः समुचित सरकार यह निर्णय लेती है कि भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित 2.85 एकड़ भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है। अधिग्रहण के उपरांत लोगों के न्यूनतम विस्थापन, आधारभूत संरचना तथा पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव एवं प्रभावित लोगों पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। धारा–8(3) के तहत समुचित सरकार का निर्णय पंचायत तथा जिला समाहर्ता, अनुमंडल दण्डाधिकारी एवं तहसील/अंचल अधिकारी, महिषी के कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाय, तथा प्रभावित क्षेत्रों (मौजा–नगरा/102 एवं खिरहो/103) में उस ढ़ंग से जैसे कि विहित किया जाए, प्रकाशित किया जायेगा, एवं समुचित सरकार (समाहर्त्ता) के वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितो को दी जाय।

ह०/–
समाहर्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 681-2 /भू–अर्ज० सहरसा, दिनांक– 10/11 /2018

प्रतिलिपि :– आयुक्त कोशी प्रमंडल सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– निदेशक भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भू–अर्जन निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्ता, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सहरसा को जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदधिकारी, सदर सहरसा/भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय परियोजना अभियंता बि0रा0पु0नि0नि0लि0, कार्य प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, सहरसा/तकनीकी निदेशक–सह–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिला के वेबसाईट पर अपलोड कर अद्योहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी महिषी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि मौजा–नगरा/102 एवं खिरहो/103 में विशेषज्ञ समूह के प्रतिवेदन का प्रकाशन कराया जाय एवं एतद संबंधि अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाय।

प्रतिलिपि :– मुखिया/पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत महिसरहो एवं ग्राम पंचायत पस्तवार प्रखंड महिषी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

समाहर्ता
सहरसा।